(16

उत्तर रेलवे

सं0 ई0एम0सी0 / 5 / पालिसी / री.इंगेजमेट / 2016 कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक
दिनांकः– –9–2018 मुरादाबाद

अधिसूचना

विषयः– सेवाओं की आवश्यकताओं में सूवानिवृत्त कर्मचारियों की री0इंगेजमेंट ।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 16–10–17 के पत्रांक ई0एन0जी0–11 / 2017 / आरसी–4 / कोर–1 और उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय द्वारा परिपत्रित पी0एस0ं0 14820 / 17 के अर्न्तगत यह विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न विभागों में निम्नलिखित श्रेणियों में रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रि.इंगेज किया जाये ।

श्रेणियां जिसमें रि.इंगेज किया जायेगा ।

विभाग	पदनाम	पदों की संख्या
अभियांत्रिकि	ट्रैकमैन	2600

नियम व शर्तेः

1– रेल कर्मचारी संरक्षा संबंधी सेवा निवृत्त योजना (LARGESS) के अर्न्तगत सेावा निवृत्त नही हुआ होना चाहिए ।

2– निष्काशित / बर्खास्त / अनिवार्य / स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मचसार रीइगेजमेन्ट के पात्र नही है ।

3– इच्छुक उम्मीदवार के पिछले 10 वर्षो का संरक्षा रिकार्ड / 5 वर्षो के सेवा रिकार्ड की जांच की जायेगी ।

4–उम्मीवार को उपरोक्त अवधि में रेलवे कर्मचारी रहते हुए डी0एण्ड0उ0आर0 के तहत कोई बडा दंड ना मिला हो ।

5–उपयुक्त श्रेणी की चिकित्सा फिटनेस अनिवार्य है ।

6–इस प्रकार के रिइंगेजमेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 65वर्ष होगी । रेलवे बोर्ड के अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार आर0बी0ई0 नं. 193 / 2017 यह योजना 1–12–19 तक बैघ है ।

7– रिइंगेजमेन्ट किए जाने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक उसके अन्तिम लिये गये वेतन से पेंन्शन धटाकर अर्थात बेसिंक पे + डी0ए0 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा तथा उसे सेवारत कर्मचारी की भांति प्रोत्साहन देय पही होगा ।

8–कर्मचारी की उपयुक्तता / सक्षमता तथा संरक्षा रिकार्ड एवं परिचालन संबंधी अनुक्षाओं जैसा आवश्यक हो का इस उददेश्य के लिए गठित समिति द्वारा उपयुक्त रूप से मूल्यांकन / निर्णय किया जायेगा । समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

9–रिगेजमेन्ट कर्मचारी के लिए डयूटि के घंटे वही होंगे जो उस पद के लिए लागू होगे जिस पर उसे रिइंगेज किया गया है ।

10–ऐसे रिइंगेज कर्मचारी की सेवायें असंतोषजनक होने पर किसी भी समय बिना किसी प्रस्तावित प्रकिया के समाप्त कर दी जायेगी ।

11–रिक्त पदों पर आर0आर0बी0/आर0आर0सी0 या अन्य स्रोतो से चुने हुए उममीदवारों के कार्यग्रहण करने पर रिइंगेज कर्मचारी को तुरत कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

12–रिइंगेज सेवा निवृत्त कर्मचारी को मुरादाबाद मण्डल के किसी भी स्थान पर विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार पदस्थ किया जा सकता है ।

13–कर्मचारी को कोई सी0एल0/एल0ए0पी0/सिक लीव आदि देय नही होगी । यदि वे डयूटि से अनुपस्थित होते है तो वेतन उसके परिश्रमिक से काट लिया जायेगा ।

14–इस अवसर पर लाभ लेने के इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रारूप पर पी0पी0ओ0 की मूल प्रति, सेवा प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्ति पर जारी पहचान पत्र और बैंक खाता सं0 तथा आई.एफ0एस0सी0कोर्ड सहित मण्डल कार्मिक अधिकारी/मुरादाबाद को आवेदन कर सकेते हैं 15.10.18 तक प्राप्त आपेदनों पर प्रथम चरण में विचार किया जायेगा ।

संलग्नक

12/9/18

प्रवर मण्डल कार्मिक अधिकारी
उत्तर रेलवे मुरादाबाद